/

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र 9/नर्सिंग/सेल–3/2014/ 307 भोपाल दिनांक 12 /8/2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,छिन्दवाड़ा,
सागर, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, सतना, रायसेन,
झाबुआ, सीधी, राजगढ, नरसिंहपुर, सिवनी, दतिया,
देवास, मंदसौर एवं विदिशा मध्यप्रदेश

विषयः— जी.एन.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. प्रशिक्षण हेतु व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण हेतु चयन करने बावत्।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं बी.एस.सी. नर्सिंग कालेजों में जी.एन.एम. एवं बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में छात्राओं को मेरिट के आधार पर राज्य स्तर पर काउन्सिलिंग कर नियमानुसार संचालनालय स्तर से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता था।

वर्ष 2014 में व्यापम द्वारा आयोजित जी.एन.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. परीक्षा में शामिल छात्राओं को मेरिट कमानुसार एम.पी. आन लाईन के माध्यम से छात्राओं के द्वारा चयनित प्रशिक्षण केन्द्र अनुसार मेरिट तैयार कर संबंधित जिले/प्रशिक्षण केन्द्र को सूची उपलब्ध कराई जावेगी। इसी सूची के अनुसार वर्ष 2014 में काउन्सिलिंग का आयोजन जिला स्तर पर ही कर प्रशिक्षण हेतु चयन कर आवंटन जारी किया जाना है। विभाग द्वारा चयन हेतु तैयार नियम पुस्तिका ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी एवं एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भी भेजी जा रही है।

निर्देशित किया जाता है कि आप संचालनालय द्वारा तैयार व्यापम को चयन परीक्षा आयोजित करने हेतु उपलब्ध कराई गई नियम पुस्तिका विभाग की वेबसाईट www.health.gov.in पर उपलब्ध कर लेख है कि नियम पुस्तिका में दर्शायी गई अर्हता चयन प्रकिया अदि का सूक्ष्मता से अध्ययन, परीक्षण कर लेवें एवं प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, जबलपुर एवं शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों को भी नियम पुस्तिका में दर्शाये गये निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्यापम द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित जी.एन.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. की परीक्षा में शामिल छात्राओं की मेरिट कम अनुसार उम्मीदवारों की वर्गवार उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर शासकीय बी.एस.सी.नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर एवं उज्जैन एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से छात्राओं द्वारा किये गये पंजीयन एवं चुने गये प्रशिक्षण केन्द्र के आधार पर छात्राओं को आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय बी.एस. सी.नर्सिंग महाविद्यालय एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश दिया जावेगा। एम.पी.आर्नलाईन द्वारा आवंटन सूची विभागीय वेबसाईट www.health.gov.in एवं एम.पी.आर्नलाईन की वैवसाईट wwwmponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

letter for 9 training centre for online selection

1.व्यापम एवं एम.पी.आनॅलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार जिला स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाना जिसमें निम्नानुसार सदस्य रहेगें :–

1. संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य – सदस्य सचिव
3. वरिष्ठतम सिस्टर टयूटर – सदस्य
4. जिले के डी.पी.एच.एन.ओ. / मेट्रन – सदस्य

2. व्यापम द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित जी.एन.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. परीक्षा में शामिल छात्राओं को मेरिट के अनुसार एम.पी. आन लाईन के माध्यम से छात्राओं के द्वारा दिये विकल्प अनुसार चयनित प्रशिक्षण केन्द्र की मेरिट तैयार कर संबंधित जिले / प्रशिक्षण केन्द्र को सूची उपलब्ध कराई जावेगी। ओपन केटेगरी की मेरिट में अनारक्षित वर्ग के समतुल्य अंक प्राप्त एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. के नाम ओपन केटेगरी में दर्शाये जाऐगें ऐसे उम्मीदवार ओपन केटेगरी में शामिल होगें, आरक्षित वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भी पृथक–पृथक मेरीट सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

3. <u>बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय की काउन्सिलिंग</u> – व्यापम द्वारा जारी अंकसूची के अनुसार एम.पी. आनलाईन के माध्यम से बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर एवं उज्जैन आवंटित किया जावेगा। आवंटन पश्चात् निर्धारित तिथि में छात्राओं को आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में समस्त मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं प्रवेश हेतु निर्धारित दिनांक में उपस्थित होना होगा। जिला बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज हेतु काउन्सिलिंग का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	दिनांक	कार्यक्रम
प्रथम चरण काउन्सिलिंग		
1	20 एवं 21 अगस्त 2014	रजिस्ट्रेशन
2	22 अगस्त 2014	प्रशिक्षण केन्द्रवार आवंटन सूची प्रकाशित करना
3	25 अगस्त 2014	प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना
4	26 अगस्त 2014	रिक्त सीटों की जानकारी संचालनालय में प्रातः 12.00 बजे तक thomas.pc@mp.nic.in एवं bhadoriyaanju@gmail.com, www.mponline.gov.in पर मेल भिजवाना
द्वितीय चरण काउन्सिलिंग		
5	27 अगस्त 2014	रिक्त पद दर्शाना
6	28 एवं 29 अगस्त 2014	रजिस्ट्रेशन
7	1 सितम्बर 2014	प्रशिक्षण केन्द्रवार आवंटन सूची प्रकाशित करना
8	4 सितम्बर 2014	प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर

		उपस्थित होना

नोट : एक बार प्रशिक्षण केन्द्र के आवंटन होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

– नियत तिथि 25 अगस्त 2014 में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी वर्गवार दिनांक 26 अगस्त 2014 को प्रातः 12.00 बजे तक श्री थामस, thomas.pc@mp.nic.in एवं bhadoriyaanju@gmail.com एवं wwwmponline.gov.in पर मेल द्वारा भेजें।

– नर्सिंग महाविद्यालय के रिक्त सीटों की जानकारी विभाग की वेबसाईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आन लाईन की वैबसाईट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित होने का दिनांक – 27 अगस्त 2014 को

– बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2/सी.बी.एस.सी. की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी। **पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होगें।**

– 1 जुलाई 2014 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आयु–सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक

शिक्षा का प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

4. <u>जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्रों की काउन्सिलिंग</u> – व्यापम द्वारा जारी अंकसूची अनुसार एम.पी.आनलाईन के माध्यम से जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा। आवंटन पश्चात् निर्धारित तिथि में छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में समस्त मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं प्रवेश हेतु निम्न दिनांक में उपस्थित होना होगा। जिला बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा। काउन्सिलिंग का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	दिनांक	कार्यक्रम
प्रथम चरण काउन्सिलिंग		
1	29 अगस्त से 1 सितम्बर 2014	रजिस्ट्रेशन
2	4 सितम्बर 2014	प्रशिक्षण केन्द्रवार आवंटन सूची प्रकाशित करना
3	8 सितम्बर 2014	प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना
4	9 सितम्बर 2014	रिक्त सीटों की जानकारी संचालनालय में प्रातः 12.00 बजे तक thomas.pc@mp.nic.in एवं bhadoriyaanju@gmail.com, www.mponline.gov.in पर मेल भिजवाना

द्वितीय चरण काउन्सिलिंग		
5	10 सितम्बर 2014	रिक्त पद दर्शाना
6	11 एवं 12 सितम्बर 2014	रजिस्ट्रेशन
7	16 सितम्बर 2014	प्रशिक्षण केन्द्रवार आवंटन सूची प्रकाशित करना
8	19 सितम्बर 2014	प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना

नोट : एक बार प्रशिक्षण केन्द्र के आवंटन होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

– नियत तिथि 8 सितम्बर 2014 में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी वर्गवार दिनांक 9 सितम्बर 2014 को प्रातः 12.00 बजे तक श्री थामस, thomas.pc@mp.nic.in को एवं bhadoriyaanju@gmail.com एवं wwwmponline.gov.in पर मेल से भेजें।

– जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के रिक्त सीटों की जानकारी विभाग की वेबसाईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आन लाईन की वैवसाईट wwwmponline.gov.in पर प्रकाशित होने का दिनांक – 16 सितम्बर 2014

– जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिग में प्रवेश हेतु उम्मीद्वारों की शैक्षणिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.सी. की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको को लेकर उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होगें।

– 1 जुलाई 2014 को उम्मीद्वार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आयु–सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

5. जी.एन.एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. की काउन्सिलिंग हेतु निम्नानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी की डयूटी काउन्सिलिंग दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक डयूटी लगाई जावे :–

क्रमांक	कार्य/विषय	प्रभारी अधिकारी/सहायक अधिकारी/ कर्मचारी
1.	सम्पूर्ण प्रभार	1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
		2. प्राचार्य/वरिष्टतम सिस्टर टयूटर
2.	प्रमाण पत्रो का परीक्षण	सिस्टर टयूटर – 2
3.	पंजीयन एवं मार्गदर्शन	मेट्रन/डी.पी.एच.एन./सिस्टर टयूटर (कोई भी दो)
4.	जावक कार्य	सी.एम.ओ. आफिस का कर्मचारी

letter for 9 training centre for online selection

5.	आवंटन आदेश से संबंधित कार्य एवं कम्प्यूटर कार्य	सी.एम.ओ. कार्यालय का आपरेटर

नोट : सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा एवं आवंटन आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

6. काउन्सिलिंग शुरू करने के पूर्व निम्नानुसार प्रकिया का पालन करना सुनिशिचित करें :-

1. सर्वप्रथम ओपन केटेगरी की सूची में अंकित उम्मीदवारों से समान्य श्रेणी की सम्पूर्ण सीटें भरी जावेगी। उक्त सूची(ओपन केटेगरी)में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के नाम अंकित होगें उन सभी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटें आवंटित की जा सकती है। सर्वप्रथम ओपन केटेगरी की ही काउन्सिलिंग की जाना है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके मेरिट कमांक ओपन केटेगरी के उम्मीदवार के समतुल्य अंक होने की स्थिति में उनका चयन ओपन केटेगरी की सीट्स से गणना कर किया जावे।

2. ओपन केटेगरी की सीटें की पूर्ती होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों की पूर्ती करना है।

3. पंजीयन एवं मार्गदर्शन के काउन्टर पर काउन्सिलिंग हेतु ओपन केटेगरी, आरक्षित वर्ग(अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) की अलग-अलग सूची उपलब्ध कराई जाये।

4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट - द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 1096 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

क	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
1.	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	35	18	5	7	5
2.	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सी.आर.पी.लाईन इन्दौर	41	20	7	8	6
3.	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	41	20	7	8	6
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	47	23	7	10	7
5.	जी.एम.अस्प.,मेडिकल कालेज, रीवा	32	16	5	6	5
6.	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	60	30	10	12	8
7.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	60	30	10	12	8
8.	जिला चिकित्सालय, सागर	60	30	10	12	8
9.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	60	30	10	12	8
10	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सतना	60	30	10	12	8
11	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र रायसेन	60	30	10	12	8

12	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ	60	30	10	12	8
13	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सीधी	60	30	10	12	8
14	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र राजगढ़	60	30	10	12	8
15	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर	60	30	10	12	8
16	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	60	30	10	12	8
17	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र दतिया	60	30	10	12	8
18	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र देवास	60	30	10	12	8
19	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर	60	30	10	12	8
20	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र विदिशा	60	30	10	12	8
	योग	**1096**	**547**	**181**	**219**	**149**

नोट : सरल क. 10 से 20 तक के प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा छात्राओं को प्रवेश देने के पूर्व उनसे स्वंय के व्यय पर रहने की लिखित में सहमति प्राप्त करनी होगी। तद्पश्चात् उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् के निरिक्षण दल द्वारा इन नवीन प्रशिक्षण केन्द्रों का शीघ्र निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

5. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट –'द' (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

क	कॉलेज का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
1.	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय लेडी एल्गिन अस्पताल के पास जबलपुर	60	30	10	12	8
2.	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन जिला चिकित्सालय उज्जैन के पास	60	30	10	12	8
	योग	**120**	**60**	**20**	**24**	**16**

7. उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण–पत्रों एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण उक्त समिति द्वारा किया जावेगा। प्रमाण पत्रों के परीक्षण हेतु चेक लिस्ट नियम पुस्तिका में अंकित है। सम्बंधित छात्राओं को मूल प्रमाण–पत्रों को दिखाना अनिवार्य होगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। जो छात्राऐं नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगी उनका कोई अभ्यावेदन बाद में स्वीकार नहीं होगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के अनुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जायेगा।

8. रिक्त स्थान की जानकारी देते समय केटेगरीवार रिक्त स्थान की गणना सही करना सुनिश्चित करें । इसमें किसी भी प्रकार की गडबडी पाये जाने पर समिति अध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

उपरोक्त वर्णित बिन्दु एवं नियम पुस्तिका में अंकित बिन्दु के अनुसार पी.एन.एस.टी./जी.एन.एस.टी. में छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु चयन कर प्रशिक्षण केन्द्र आंवंटित करें। आवंटन आदेश पर संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हस्ताक्षर करेगें।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों एवं संलग्न पी.एन.एस.टी. एवं जी.एन.एस.टी. नियम पुस्तिका का सूक्ष्मता से परीक्षण एवं अध्ययन करे एवं उसी अनुसार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में प्रवेश देवें यदि इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई या किसी बिन्दु पर मार्ग–दर्शन प्राप्त करना हो तो तत्काल **डॉ0 श्रीमती अंजु भदौरिया उप संचालक नर्सिगं से दूरभाष/ईमेल/पत्र व्यवहार** द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्न :– पी.एन.एस.टी./जी.एन.एस.टी. की नियम पुस्तिका की छायाप्रति

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र 9/नर्सिंग/सेल–3/2014/ भोपाल दिनांक /8/2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. समस्त प्राचार्य, बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय/जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार, महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल गोवन्तिका परिसर, बारह दफतर के पास जवाहर चौक भोपाल मध्यप्रदेश।

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

letter for 9 training centre for online selection

PNST - 2014

PRE NURSING SELECTION TEST - 2014

(B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु

उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING (4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES

2014

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

विषय–सूची

		कंडिका	पृष्ठ क्र.
–	महत्वपूर्ण जानकारी		1

अध्याय – 1 : चयन के लिए नियम

–	सामान्य	1	5
–	सीटों का आरक्षण	1.2	5
–	प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	6
–	शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	7
–	चयन प्रक्रिया	1.4	7
–	प्रवेश प्रक्रिया	1.5	8
–	प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा	1.6	9
–	प्रवेश रद्द करना	1.7	9
–	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट–अ	10
–	बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट–ब	11

अध्याय – 2 : निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

–	ओ.एम.आर. भरने की प्रक्रिया	2.1	12
–	दस्तावेज जिन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।	2.3	12
–	परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.5	13
–	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.11	14
–	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.17	15

अध्याय – 3 : पाठ्यक्रम

–	पी.एन.एस.टी. – वर्ष 2014 प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)		16–21

अध्याय – 4 : प्रमाण पत्रों के प्रारूप

–	प्रपत्र 01 से 9		22–29

अध्याय – 5 : परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश

–	परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि		30–31
–	चेक लिस्ट		32
–	भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना		33–34
–	ओ.एम.आर. उत्तरशीट का नमूना		35–36

अध्याय–1

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम – 2014

1.1 सामान्य :

1.1. ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ''शासकीय बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे।

1.1.1 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं।

1.1.2 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre. Nursing (B.Sc. Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गो के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गो में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (जी.एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :– मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरणः–1. विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा।

1.3.2 **शैक्षणिक अर्हता :–** बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

1.3.2.1 **अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता :–** प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परिक्षाओं में सम्मिलित हो रही है। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

1.3.3 **आयु सीमा :–** 1 जुलाई 2014 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 **स्पष्टीकरण :–** आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी

उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रकियाः–

1.4.1 बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा बी.एस.सी. नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री. नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोटः– अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग–अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 **समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :–** समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित कम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर–निश्चित किया जावेगा। प्रथम–जीवविज्ञान, द्वितीय–रसायन, तृतीय–भौतिकी एवं चतुर्थ–अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी।

प्रवेश प्रकिया :–

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रो में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट – वर्ष 2014 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी। आवंटित प्रशिक्षण केंद्रो में निर्धारित तिथि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। व्यापम द्वारा जारी अंकसूची एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक 3 जुलाई

2014 को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। **निर्धारित तिथि 3 जुलाई 2014 को आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।**

जो उम्मीदवार नियत तिथि 3 जुलाई 2014 को उपस्थित नहीं होगें। उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारो को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

दिनांक 3 जुलाई 2014 में बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 5 जुलाई 2014 को स्वास्थ्य विभाग के वेब साईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

दिनांक 3 जुलाई 2014 के पश्चात् रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2014 को अपनी उपस्थिति देकर अभिलेखों का परीक्षण कराना होगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उपयुक्त उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात कोई काउन्सिलिंग नही होगी।

1.5.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :–** उम्मीद्वारों को बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण–पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।

(iii) किसी भी उम्मीद्वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.6 प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :–

सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ–नर्स के पद पर म. प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप रूपये 5200–20200+2400 (शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तित वेतनमान) में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कही भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट –'द' (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

नोट :– आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट –ब

क्रं.	कॉलेज का नाम	महिला उम्मीदवारों हेतु कुल सीट	ओपन केटेगरी	अनारक्षित वर्ग		
			अनारक्षित (महिला)	अनुसूचित जाति (महिला) (16%)	अनुसूचित जन जाति (महिला) (20%)	अन्य पिछड़ावर्ग (महिला) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1.	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय लेडी एल्गिन अस्पताल के पास जबलपुर	60	30	10	12	8
2.	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन जिला चिकित्सालय उज्जैन के पास	60	30	10	12	8
योग		**120**	**60**	**20**	**24**	**16**

परिशिष्ट –'ब'

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.–3/94/1588/1601, दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जोन की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
12. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
16. छात्राओं द्वारा रू. 2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा।)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र – 1 :
उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम	: ....
पिता का नाम	: ....
जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम	: ....
धर्म	: ....
व्यवसाय	: ....
पता	: ....
	....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला .... के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र – 2 :
उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला... मध्यप्रदेश

पुस्तक कमांक ....

प्रमाण–पत्र कमांक........................ प्रकरण कमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................... निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं............................... तहसील...जिला..संभाग.. जाति /जनजाति...का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुकमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

3. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं।

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

प्रपत्र – 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम .... जिला / संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो .... जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री... (पिता का नाम) और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16 / 2000 / 1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय / संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक...

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री/कुमारी .... के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र – 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री .... ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 6 :

वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... आत्मजा / पत्नी / श्री / श्रीमती .... जो तहसील ....जिला.............................. मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।

अथवा

(2) वह / उसका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा / रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....

दिनांक ....

....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :– जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र – 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... श्री/श्रीमती...का /की/पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में .... पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .. .. (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती...का / की / पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन / सार्वजनिक उपक्रम का / की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... श्री / श्रीमती...का / की / पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन / मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

(स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु)
(For Appointment Against the Post of Staff Nurses)

GNTST 2014

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)
GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST (FOR GIRLS ONLY)

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम

• नियम पुस्तिका एवं आवेदन–पत्र का विक्रय	प्रारंभ होने की तिथि	
• नियम पुस्तिका एवं आवेदन–पत्र विक्रय की	अंतिम तिथि	
• भरे हुये आवेदन–पत्र मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने की (डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से)	अंतिम तिथि	
• परीक्षा तिथि		
• नियम पुस्तिका सह परीक्षा शुल्क		
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों हेतु		रू.
अन्य पिछड़ा वर्ग /अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु		रू.
• ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि		

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462 011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ईमेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

जी.एन.टी.एस.टी. परीक्षा – 2014

जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेलेक्शन टेस्ट – 2014

म. प्र. राज्य के लिये

महत्वपूर्ण जानकारी

1.	पात्रता	:	प्रवेश हेतु केवल महिला अभ्यार्थी पात्र होंगी। पात्रता की शर्तों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी चयन नियम अध्याय–1 की कंडिका 1.3 देखें।
2.	परीक्षा शहर	:	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर।
3.	आवेदन–पत्रों की उपलब्धता	:	दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . के मध्य आवेदन–पत्रों का विक्रय सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लिए रूपए 300 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रूपए 150 के नगद भुगतान पर मंडल काऊंटर, भोपाल तथा निम्नलिखित शहरों में चिन्हित संस्थाओं सेः

1.	जबलपुर	: कला निकेतन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शा.मो.ह. गृह विज्ञान महाविद्यालय, शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
2.	रीवा	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, शा. ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय।
3.	उज्जैन	पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय।
4	ग्वालियर	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय।
5	इंदौर	एस.जी.एस.आई.टी.एस., श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला।
6	विदिशा	एस. ए. टी. आई. (डिग्री)।
7	भोपाल	शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय।
8	बालाघाट	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
9	बैतूल	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
10	धार	शासकीय कन्या महाविद्यालय।
11	खण्डवा	श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय।

12	सतना		शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
13	शहडोल	:	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
14	देवास	:	शा. एस.के.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
15	सागर	:	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, स.रा.शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
16	छतरपुर	:	शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
17	छिन्दवाड़ा	:	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
18	गुना	:	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
19	होशंगाबाद	:	शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
20	मन्दसौर	:	राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
21	टीकमगढ़	:	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय।
22	रतलाम	:	शासकीय कन्या महाविद्यालय।

डाक द्वारा प्रेषण : केवल मंडल कार्यालय, भोपाल से ही डाक द्वारा आवेदन–पत्र मंगाये जा सकते हैं। इसके लिये सादे कागज पर लिखित आवेदन के साथ निर्धारित राशि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रू. 350/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रू. 150/– का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो म. प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम एवं भोपाल में देय हों, संलग्न करके डाक के केवल मण्डल कार्यालय, भोपाल से आवेदन–पत्र एवं नियम पुस्तिका मंगवा सकते हैं। ऐसे आवेदन मंडल कार्यालय में दिनांक . . . . तक प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। भरा हुआ आवेदन–पत्र दिनांक . . . . . . तक मंडल कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत हस्ते प्राप्त हो जाना चाहिये। विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों को निरस्त माना जायेगा।

विषय–सूची

		कंडिका	पृष्ठ क्र.
–	महत्वपूर्ण जानकारी		1
अध्याय – 1 : चयन के लिए नियम			5
–	सामान्य	1	5
–	सीटों का आरक्षण	1.2	5
–	प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	6
–	शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	9
–	चयन प्रक्रिया	1.4	10
–	प्रवेश प्रकिया	1.5	11
–	चयनोपरान्त पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य	1.6	13
–	प्रवेश रद्द करना	1.7	13
–	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट–अ	15
–	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट–ब	16
अध्याय – 2 : निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम			
–	ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया एवं परीक्षण	2.1	17
–	दस्तावेज जिन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।	2.2	17
–	टावेदन–पत्र के निरस्तीकरण के कारण	2.3	18
–	परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.6	18
–	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.14	20
–	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.18	21
अध्याय – 3 : पाठ्यक्रम			
–	जी.एन.टी.एस.टी. – 2014 प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)		22–28
अध्याय – 4 : प्रमाण पत्रों का प्रारूप एवं अन्य विवरण			
–	परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि		29
–	चेक लिस्ट		32
–	भरे हुए आवेदन पत्र का नमूना		33
–	ओ.एम.आर. उत्तरशीट का नमूना		35
–	प्रपत्र – 01 से 9 तक		37–44

अध्याय–1

GNTST - 2014

(GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)

(स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिये)

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING
IN SELECTED GOVERNMENT TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)

2014

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय–1

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम 2014

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ''शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम'' कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गो के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गो के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित वर्गो में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय–4) देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता कानाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :– मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरणः–1. विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा।

1.3.2 **शैक्षणिक अर्हता :–** जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीद्वार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको को लेकर उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 की कक्षा 12वीं की भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में

न्यूनतम 40% अंको से उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

1.3.2.1 **अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता** :– प्रवेश परीक्षा में वे छात्राऐं भी सम्मिलित हो सकती है जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परिक्षाओं में सम्मिलित हो रही है। **पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होगें।**

1.3.3 **आयु सीमा** :– 1 जुलाई 2014 को उम्मीद्वार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 **स्पष्टीकरण** :– आयु–सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रियाः–

1.4.1 जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एस.टी. एवं पी.एन. एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूचियां श्रेणीवार एवं एम.पी.आनलाईन द्वारा प्रशिक्षण केंद्रवार सूची उपलब्ध करायी जावेगी।

नोटः– अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होगें। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग–अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 **समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता** :– समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता

के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर–निश्चित किया जावेगा। प्रथम–जीवविज्ञान, द्वितीय–रसायन, तृतीय–भौतिकी एवं चतुर्थ–अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार योग्यातक्रम सूचियां बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश प्रकिया :–

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रो में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट – वर्ष 2014 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रथक से कोई काउंसलिंग नहीं की जावेगी। आवंटित प्रशिक्षण केंद्रो में निर्धारित तिथि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। व्यापम द्वारा जारी अंकसूची एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 12 जुलाई 2014 को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। **निर्धारित तिथि 12 जुलाई 2014 को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति अनिवार्य है।**

जो उम्मीदवार नियत तिथि 12 जुलाई 2014 को उपस्थित नहीं होगें। उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारो को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

दिनांक 12 जुलाई 2014 में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 15 जुलाई 2014 को स्वास्थ्य विभाग के वेब साईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

दिनांक 12 जुलाई 2014 में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवारों को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्रो में दिनांक 22 जुलाई 2014 को अपनी उपस्थिति देकर अभिलेखों का परीक्षण कराना होगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उपयुक्त उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात कोई काउन्सिलिंग नही होगी।

1.5.2 **प्रवेश के लिये प्रमाण–पत्रों की सूची :**– उम्मीद्‌वारों को जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण–पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
5. जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची / प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्‌वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रवेश हेतु उम्मीद्‌वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।

(iii) किसी भी उम्मीद्‌वार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.6 चयनोन्परान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 **प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवाः–**

साढे तीन वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की शासकीय सेवा यदि शासन द्वारा दी जाये तो करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीद्‌वार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, चिकित्सा सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्हें विभाग की आवश्यतानुसार स्टॉफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

परिशिष्ट –अ

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट – द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदो के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 436 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगाः–

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	35	18	5	7	5
2.	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर	41	20	7	8	6
3.	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	41	20	7	8	6
4.	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	47	23	7	10	7
5.	जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा	32	16	5	6	5
6.	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	60	30	10	12	8
7.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	60	30	10	12	8
8.	जिला चिकित्सालय, सागर	60	30	10	12	8
9.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	60	30	10	12	8
योग		**436**	**217**	**71**	**87**	**61**

परिशिष्ट –ब

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि साढ़े तीन वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि.–3/94/1588/1601, दिनांक 7–5–1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को साढ़े तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अध्याय – 4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र – 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम : ....

पिता का नाम : ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम : ....

धर्म : ....

व्यवसाय : ....

पता : ....

....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला .... के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र – 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला... मध्यप्रदेश

पुस्तक कमांक ....

प्रमाण–पत्र कमांक........................ प्रकरण कमाक....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................. निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं............................. तहसील...जिला..संभाग.. जाति /जनजाति...का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

प्रपत्र – 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम .... जिला/संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो .... जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक...

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री/कुमारी .... के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र – 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी .... आत्मजा पत्नी श्री .... ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 6 :

वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती .... जो तहसील ....जिला............................... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....

....

दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :– जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र – 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
श्री/श्रीमती...का /की/पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में .... पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .. .. (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... श्री/श्रीमती...का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .... श्री/श्रीमती..का/की/पुत्री है, जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर...................................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल

जी.एन.टी.एस.टी. – 2014 की परीक्षा

समय सारणी

परीक्षा का दिन एवं दिनांक	परीक्षा प्रारंभ	उत्तरशीटों का वितरण	उत्तरशीटों में चाही गई जानकारी भरना	प्रश्न–पुस्तिकाओं का प्रदाय	प्रश्न–पुस्तिकाओं की जाँच करना	उत्तरशीट पर उत्तर अंकित करना
रविवार	प्रातः 10.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे 10.10 तक – 10 मिनिट	प्रातः 10.10 बजे	प्रातः 10.10 बजे 10.15 तक – 5 मिनिट	प्रातः 10.15 बजे 01.15 बजे तक – 3 घण्टे

नोट : परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनिट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुँचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

शासकीय नर्सिंग स्कूल में नर्सिंग पाठ्यक्रम

क्रं.	जिला	शासकीय कालेज का नाम	पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत कुल सीट	पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया (केन्द्रीय कान्सिलिंग / सीधे प्रवेश)	वर्ष 2013–14 में प्रवेशित	पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत अनु.ज. जा. वर्ग की सीट	वर्ष 2013–14 में प्रवेशित (एस.टी.) विद्यार्थी	अनु.ज. जा. वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क
1.	भोपाल	हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल	35	व्यापम द्वारा परीक्षा उपरांत एम.पी.आन लाईन के माध्यम से	7	7	7	शासकीय
2.	इंदौर	एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर	41		8	8	8	
3.	ग्वालियर	जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर	41		8	8	8	
4.	जबलपुर	मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर	47		10	10	10	
5.	रीवा	जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा	32		6	6	6	
6.	छिन्दवाड़ा	जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा	60		12	12	12	
7.	खण्डवा	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	60		12	12	12	
8.	सागर	जिला चिकित्सालय, सागर	60		12	12	12	
9.	रतलाम	जिला चिकित्सालय, रतलाम	60		12	12	12	
योग			**436**		**87**	**87**	**87**	

परिशिष्ट – अ

शासकीय नर्सिंग कालेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रम

क्रं.	जिला	शासकीय कालेज का नाम	पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत कुल सीट	पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रकिया (केन्द्रीय कान्सिलिंग/सीधे प्रवेश)	वर्ष 2013–14 में प्रवेशित	पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत अनु.ज. जा. वर्ग की सीट	वर्ष 2013–14 में प्रवेशित (एस.टी.) विद्यार्थी	अनु.ज. जा. वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क
1.	जबलपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60	व्यापम द्वारा परीक्षा उपरांत एम.पी.आन लाईन के माध्यम से	12	12	12	शासकीय
10	उज्जैन	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	60		12	12	12	
योग			**120**		**24**	**24**	**24**	